क्र सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		बाबूलाल बनाम पूरा व अन्य 37/2010 टी. आई.
	10/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA व आदेश 39 नियम 1 व 2 CPC पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र 212 RTA में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण 1 लगा० 70 व 73 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 RTA स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड, प्रार्थना पत्र 212 RTA का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील प्रार्थी की बहस का मनन करने पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 1 लगा० 17 व 68 व 70 के खुद काश्त की भूमि थी जिसमे पूर्व मे मौखिक पारिवारिक समझौते के अनुसार आराजी ख० न० 196 तत्कालीन ख० न० 299 वर्तमान ख० न० 400 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा मुताबिक रिकार्ड प्रार्थी के पिता घेडू पुत्र श्री रामला, [illegible] के नाम अंकित है। जिसमे प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी मे 1/4 हिस्सा था। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थी के हिस्से की आराजी को अप्रार्थी सं 6 लगा० 17 के नाम गलती से दर्ज कर दी थी जबकि भू-प्रबन्ध विभाग को पूर्व प्रविष्टि को दोहराना चाहिए था। नवीन प्रविष्टि करने का हक व अधिकार भू-प्रबन्ध विभाग को नहीं था। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई गलती को वादी के मूल वाद मे साक्ष्य सबूत व दस्तावेजात के आधार पर निर्णय किया जावेगा। मूल वाद का निस्तारण मे समय लगेगा तब तक अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझता है अतः प्रार्थीगण का प्रा०पत्र 212 RTA स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण सं. 1 लगा० 70 व 73 को ता-फैसला वाद तक जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वो विवादित आराजी ख० न० 388 रकबा 0.44 हैक्टेयर, ख० न० 389 रकबा 0.01 हैक्टेयर, ख० न० 390 रकबा 0.05 हैक्टेयर, ख० न० 391 रकबा 0.77 हैक्टेयर, ख० न० 392 रकबा 0.89 हैक्टेयर, ख० न० 393 रकबा 0.83 हैक्टेयर, ख० न० 397 रकबा 0.23 हैक्टेयर, ख० न० 398 रकबा 0.40 हैक्टेयर, 376 रकबा 3.73 हैक्टेयर, ख० न० 377 रकबा 0.02 हैक्टेयर, ख० न० 400 रकबा 1.65 हैक्टेयर, वाके ग्राम चक सवाई गेटोर — लगातार उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर जयपुर

बाबूलाल व अन्य बनाम पूरा व अन्य

37/2010 टी. आई. / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10/9/24	तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे अप्रार्थीगण स्वयं व किसी एजेन्ट के द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं करे तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:18:16 IST
Reason: SelfAttested